न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 36/2011

अनवान

1. दशरथ सिंह पुत्र स्व0 श्री भॅवरसिंह मुतबन्ना स्व0 श्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला–अजमेर
2. प्रेमकॅवर पुत्री स्व0 श्री सवाई सिंह पत्नि श्री आनंदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला–अजमेर हाल निवासी ग्राम नांद तहसील–पीसांगन जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुभाषचन्द उपाध्याय पुत्र श्री राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी शिव कॉलोनी रूपनगढ रोड, मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ, जिला–अजमेर
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री गणपतलाल सोनी जाति सोनी (सुनार)निवासी गॉधीनगर, मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला–अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ।

..... **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–	1.	श्री तुलवीर सिंह चौहान	अभिभाषक अपीलान्ट्स
	2.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
	3.	श्री शुभकरणसिंह चौधरी	राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 30.05.2017**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मगरा तहसील एवं जिला–अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2040–2043 के अनुसार खाता संख्या 95 (नया) पुराना–96 के खसरा नं0 31, 43, 787 कुल किता 3 की आराजी राजस्व रेकार्ड में मदन सिंह व सवाई सिंह के खातेदारी में पुश्तैनी भूमि होने से दर्ज थी। श्री मदनसिंह की शादी नही हुई थी वे लाऔलाद फौत हो गये। श्री सवाई सिंह की एक मात्र पुत्री अपीलान्ट संख्या 02 (प्रेमकॅवर) जिसका विवाह हो गया किन्तु उनके कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपीलान्ट संख्या 01 (दशरथ सिंह)को 4 वर्ष की उम्र में ही जाति समाज के रीति–रिवाज अनुसार गोद ले लिया था। श्री सवाई सिंह एवं उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनकी चल व अचल सम्पति पर अपीलान्ट्स मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हो गये। श्री सवाई सिंह की उक्त सम्पति में अपीलान्ट सं0 1 व 2 का बराबर हिस्सा निहित है। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 29.6.1995 के द्वारा प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात रेस्पो0 सं0 1, 2 के द्वारा अपराधिक षडयन्त्र के तहत अपीलान्ट दशरथसिंह का फर्जी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कर एक फर्जी पावर ऑफ ॲर्टोनी खसरा नं0 43 रकबा 9–9–00 बाबत रहन, बय बख्शीश किये जाने की तैयार कर फर्जी व्यक्ति खडा कर नोटेरी पब्लिक वी.जे. सिंह अजमेर के यहॉ से तस्दीक करवा लिया गया। इस फर्जी कृटरचित पावर ऑफ अर्टोनी के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में बिना किसी अधिकार के खसरा नं0 43 रकबा 09–09–00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 02 के हक में निष्पादित

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कर उप पंजीयक अजमेर के यहॉ दिनांक 23.4.2008 को पंजीबद्ध करवा दिया। इस विकय पत्र के आधार पर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 14.2.2008 के द्वारा प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गई। इसी नामान्तरकरण से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण सं0 125 दिनांक 14.02.2008 की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.09.2008 को हुई। तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड रेकार्ड आदि की नकले प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के विरूद्ध अभिभाषक की सलाह के आधार पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डनायक संख्या 03, अजमेर के यहॉ अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 120 बी भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय ने 156(3) भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पुलिस जांच हेतु पुलिस थाना सिविल लाइन, अजमेर को प्रेषित किया गया जिसमें अन्वेषण चालू है। परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि को हथियाने के इरादे से अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में बाधा डालने लगे एवं बेदखल करने पर आमादा हो गये इस पर अन्य अभिभाषक से सलाह लेकर यह अपील मान0 न्यायालय में प्रस्तुत की गई। कानून की अनभिज्ञता एवं फौजदारी कार्यवाही के कारण तथा जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील, गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मगरा तहसील एवं जिला–अजमेर की प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकार्ड में मदन सिंह व सवाई सिंह के खातेदारी में पुश्तैनी भूमि होने से दर्ज थी। श्री मदनसिंह की शादी नही हुई थी वे लाऔलाद फौत हो गये। श्री सवाई सिंह की एक मात्र पुत्री अपीलान्ट संख्या 02 (प्रेमकॅवर) जिसका विवाह हो गया किन्तु उनके कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपीलान्ट संख्या 01 (दशरथ सिंह)को 4 वर्ष की उम्र में ही जाति समाज के रीति–रिवाज अनुसार गोद ले लिया था। श्री सवाई सिंह एवं उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनकी चल व अचल सम्पति पर अपीलान्ट्स मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हो गये। श्री सवाई सिंह की उक्त सम्पति में अपीलान्ट सं0 1 व 2 का बराबर हिस्सा निहित है। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 29.6.1995 के द्वारा प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात रेस्पो0 सं0 1, 2 के द्वारा अपराधिक षडयन्त्र के तहत अपीलान्ट दशरथसिंह का फर्जी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कर एक फर्जी पावर ऑफ अॅर्टोनी, खसरा नं0 43 रकबा 9–9–00 बाबत रहन, बय, बख्शीश किये जाने की तैयार कर फर्जी व्यक्ति खडा कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा लिया गया। इस फर्जी कृटरचित पावर ऑफ अर्टोनी के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में बिना किसी अधिकार के खसरा नं0 43 रकबा 09–09–00 बीघा भूमि का विकय पत्र रेस्पो0 संख्या 02 के हक में निष्पादित कर उप

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पंजीयक अजमेर के यहॉ दिनांक 23.4.2008 को पंजीबद्ध करवा दिया। इस विकय पत्र के आधार पर आक्षेपित नामान्तरकरण के द्वारा प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेज/विकय पत्र के आधार पर भरा गया आक्षेपित नामान्तरकरण काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 14.2.2008 निरस्त फरमाते हुए राजस्व रेकार्ड में किये गये इन्द्राजात को दुरूस्त करते हुए पूर्व के इन्द्राज को बहाल रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मुख्यतः कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा प्रश्नगत आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र सन् 2008 में कय की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा पंजीकृत विकय पत्र को किसी न्यायालय में चूनौती नही दी गई है। सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये जाने तक रेस्पोडेन्ट के हक में निष्पादित पंजीबद्ध विकय पत्र पूर्ण रूप से वैद्य दस्तावेज है। फौजदारी प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत की गई है। जिसमे एफ.एस.एल जॉच भी हुई है। अपीलान्ट का रजिस्टर्ड विकय पत्र निरस्त करने का दावा मान0 न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है तथा अपीलान्ट सं0 02 प्रेमकॅवर द्वारा प्रस्तुत घोषणात्मक वाद भी खारिज हो चूका है। अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय से तथ्य छुपाकर अपील पेश की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी ट्रायल है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण बहाल रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। विधिक रूप से निष्पादित/पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आक्षेपीय नामा0 सं0 125 दिनांक 14.02.2008 रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस नामान्तरकरण को तस्दीक करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कानूनी भूल किये जाने के तथ्य अपील सुनवाई दौरान स्पष्ट नहीं हुये हैं। वैसे भी पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण कार्यवाही नियत प्रक्रिया के तहत् सम्पादित होती है। प्रस्तुत किये तर्कों के अन्तर्गत ऐसे कोई तथ्य स्पष्ट नहीं है, जो विधिक रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र आधारित तस्दीक आक्षेपीय नामान्तरकरण को नियम विरूद्ध साबित करता हो, और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/05/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner